

सेवामें,

श्रीमान अधिशाषी अधिकारी महोदय,
नगर पालिका ; रावतसर

विषय :- जल/विद्युत का कनेक्शन करवाने हेतु मुलभुत सुविधा प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मेरा आवास/व्यवसाय मेरे स्वयं का निर्मित मुखण्ड जो पट्टेशुदा/कब्जेशुदा वार्ड नं. में स्थित हैं। मैं वर्षों से निवास कर रहा हूँ। बतौर सबुत निम्न दस्तावेज संलग्न हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैं -

1. वार्ड पार्श्व की तस्दीक हां/नहीं
2. 10 रुपये का शपथ पत्र हां/ नहीं
3. प्रस्तुत साक्ष्य उसी स्थान के हैं जिस पर मैं आवास कर रहा हूँ हां/नहीं
4. मतदाता सूची -2009 से पूर्व व वर्तमान 1. वर्ष कं.सं. ,2. वर्ष कं.सं.
(जो उसी स्थान की जिस स्थान पर मैं आवास कर रहा हूँ एवं मुलभूत संविधा प्रमाण पत्र चाह रहा हूँ।)
5. राशन कार्ड की छाया प्रति :- वर्ष कमांक
6. मुखण्ड के पट्टे या इकरारनामा की कड़ी संलग्न हैं।
7. अन्य कोई दस्तावेज

मुखण्ड का आसा - पासा

उत्तर दक्षिण

पूर्व पश्चिम

प्रार्थी

(नाम/पता/मो. नं.)

कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट

श्रीमान जी उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि श्री/श्रीमति पुत्र/पत्नि आवेदक द्वारा वार्ड संख्या में जल/विद्युत कनेक्शन मूलभूत सुविधा प्रमाण पत्र चाहा गया है आवेदक की भूमि प्लानिंग क्षेत्र में नहीं है मुखण्ड के उपर एचटी लाईन जा रही है/नहीं जा रही है। सम्बन्धित व्यक्ति का आवासीय/व्यवसायिक मुखण्ड प्रतिबंधित भूमि में है/नहीं है। प्रार्थी का मौके पर आवास है/नहीं है एवं मुखण्ड का आसा पासा सही है/नहीं है अतः मूलभूत सुविधा प्रमाण पत्र दिये जाने पर निम्न प्रकार से कटिंग होगी।

1. डामर सड़क कटिंग
2. सिमेंट सड़क
3. सोलिंग सड़क
4. इंटरलोकिंग सड़क
5. कच्ची सड़क

इस प्रकार जल/विद्युत कनेक्शन देने हेतु कुल रुपये /- रोड़ कटिंग के जमा करवाने होंगे। रिपोर्ट आगामि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर

कनिष्ठ अभियन्ता

लिपिकीय रिपोर्ट

श्रीमान जी उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि श्री/श्रीमति पुत्र/पत्नि का मुखण्ड प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार वर्ष से काबिज है अतः कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट मुताबिक रु. /- एवं मूलभूत प्रमाण पत्र शुल्क रु. /- कुल रु. /- जमा कर प्रमाण दिया जाना उचित होगा। रिपोर्ट आदेशार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर

अधिशायी अधिकारी

नगरपालिका रावतसर

यथा प्रस्तुत

अध्यक्ष

नगरपालिका रावतसर

वार्ड पार्षद की तस्दीक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति पुत्र/पत्नि श्री ने जल/ विद्युत के लिए प्रार्थना पत्र दिया है इसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उक्त व्यक्ति वर्ष से इस भुखण्ड में मकान बनाकर निवास कर रहा है सह अतिक्रमण न्याय नहीं है व पुराना है एनओसी दिया जाना जनहीत में उचित होगा।

वार्ड पार्षद

न. पा. वार्ड नं., रावतसर

लिपिकीय रिपोर्ट

श्रीमान जी उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री/श्रीमति पुत्र/पत्नि श्री आवेदक द्वारा वार्ड संख्या में जल/विद्युत कनेक्शन मुलभूत सुविधा प्रमाण पत्र चाहा गया है आवेदक द्वारा निम्न दस्तावेज संलग्न किसे गये हैं:-

1. वार्ड पार्षद की तस्दीक हां/नहीं
2. 10 रुपये का शपथ पत्र हां/ नहीं
3. प्रस्तुत साक्ष्य उसी स्थान के हैं जिस पर मैं आवास कर रहा हूँ हां/नहीं
4. मतदाता सूची -2009 से पूर्व व वर्तमान 1. वर्ष कं.सं., 2. वर्ष कं.सं.
5. राशन कार्ड की छाया प्रति :- वर्ष कमांक
6. भुखण्ड के पट्टे या इकरारनामा की कड़ी संलग्न हैं।
7. अन्य कोई दस्तावेज

उक्तानुसार संलग्न किये गये दस्तावेजों के अनुसार उक्त भुखण्ड जो वार्ड संख्या रावतसर पट्टेशुदा/कब्जेशुदा वर्ष से काबिज हैं। भूमि के स्वामित्व भौका रिपोर्ट पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता से ली जानी उचित होगी।

लिपिक हस्ताक्षर